अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45 – MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	670,54,00	670,57,00	665,44,28	-5,12,72
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,48,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1609.00	1452.00	1462.14	+10.14
पु.	R.	-157.00			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	53299.00	47889.00	47892.53	+3.53
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-5412.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6600.00	1.32	..	-1.32
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-6599.68			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों का सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	4040.00		16622.68	16623.67	+0.99
पु.	R.	12582.68				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	1506.00		744.00	565.94	-178.06
पु.	R.	-762.00				

(I) ₹6644.10 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹6501.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "बागवानी आधारित उद्योग - प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम" - ₹801.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) ;

(खा) "दुग्ध आधारित उद्योग - गुणत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान और विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप संबंधी स्कीम" - ₹300.00 लाख;

(गा) "अवसरंचना विकास संबंधी स्कीम" - ₹2700.00 लाख; और

(घा) "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मिशन संबंधी स्कीम" - ₹2700.00 लाख।

(I) Provision of ₹6644.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹6501.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- "Food – Food Processing"- under the following heads:-

(A) "Horticulture Based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernisation of Food Processing Industries"- ₹801.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(B) "Milk Based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, Research and Development and Other Promotional Activities" - ₹300.00 lakhs;

(C) "Scheme for Infrastructure Development"- ₹2700.00 lakhs; and

(D) "Scheme for National Mission on Food Processing Industries"-₹2700.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" के अंतर्गत ₹146.86 लाख की बचत (₹1609.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries"- saving of ₹146.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1609.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2408"- "Food – Food Processing" – savings occurred under the following heads:-

(का) "संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की स्कीम" - ₹1140.00 लाख की बचत (₹7350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Scheme for Strengthening of Institutions" – saving of ₹1140.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7350.00 lakhs); and

(खा) "बागबानी आधारित उद्योग - राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मिशन स्कीम" - ₹15637.50 लाख की बचत (₹16800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Horticulture Based Industries – Scheme for National Mission on Food Processing Industries"– saving of ₹15637.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16800.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उद्यमियों/संस्थाओं/संगठनों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from entrepreneurs/institutions/ organisations and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" के अंतर्गत ₹934.06 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Food - Food Processing - National Mission on Food Processing" - saving of ₹934.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from Union Territory Governments and less utilisation of funds by Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11405.68 लाख) प्रयुक्त हो गईं

2.(I) The above savings were partly (₹11405.68 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-

जैसा कि दिसबंर, 2012 और मार्च, 2013 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" -

(क) "बागवानी आधारित उद्योग - प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम" - ₹9421.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9419.20 लाख था।

(ख) "बागवानी आधारित उद्योग - अवसंरचना विकास संबंधी स्कीम" - ₹1927.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1932.95 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "कैंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - अवसंरचना विकास के लिए सहायता"- ₹57.68 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹58.67 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "कैंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹12562.00 लाख का अधिक व्यय (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 under the following major heads:-

(A) Major Head "2408"-"Food – Food Processing" –

(a) "Horticulture Based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries" – ₹9421.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9419.20 lakhs.

(b) "Horticulture Based Industries – Scheme for Infrastructure Development" – ₹1927.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1932.95 lakhs.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Food – Food Processing – Assistance for Infrastructure Development" – ₹57.68 lakhs. Actual excess, however, was ₹58.67 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Food – Food Processing – National Mission on Food Processing" – excess of ₹12562.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.